सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 24, मंगलवार, शाके 1943-मार्च 15, 2022
Phalguna 24, Tuesday , Saka 1943- March 15, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 15, 2022

संख्या टीपीआर/1120/एमपी/नसीराबाद/22/ :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत नसीराबाद (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं :-

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अंग्रेजी	हिन्दी
1	NASIRABAD	नसीराबाद
2	NANDALA	नान्दला
3	BUBANIYA	बूबानिया
4	MOTIPURA	मोतीपुरा
5	CHAT	चाट
6	JAGPURA	जगपुरा
7	DHOLAN DANTA DERATHU	धोलादांता देराठू
8	DERATHU	देराठू
9	BARA PATTHAR	बारापत्थर
10	RATAKHEDA	राताखेडा
11	BAIWANJA	बैवन्जा
12	DILWARA	दिलवाडा
13	DILWADI	दिलवाडी

नसीराबाद मास्टर प्लान के इस प्रारूप के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियों एवं सुझाव वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, दीपक नगर, जयपुर रोड, अजमेर- 305001, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नसीराबाद (जिला अजमेर) अथवा मुख्य नगर नियोजक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर-

302004 के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी दिन कार्यालय समय में दिनांक 15.03.2022 से 14.04.2022 तक प्रदर्शनी स्थल अम्बेडकर भवन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नसीराबाद (जिला अजमेर) में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका मय मानचित्र, कार्यालय नगर पालिका, नसीराबाद (जिला अजमेर) से क्रय की जा सकती हैं।

भूपेन्द्र कुमार,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।